Estimated cost Of Koel-Karo power project

190. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to refer to the answer to Starred Question 178 given in the Rajya Sabha on the 3rd December, 1991 and state:

(a) what was the original estimated costs of Koelkaro power project and what is its revised cost; and

(b) what has been the year-wise sanction of funds since its implementation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) The original estimated cost of Koel Karo Power Project was Rs. 439.91 crores (including interest during construction, at March, 1980 price level. The revised sanctioned cost of the project at March, 1991 price level is Rs. 1338.81 crores (including interest during construction).

(b) since the sanction of the cost estimates in November, 1991, NHPC has earmarked Rs. 5 crores for this project in the year 1991-92.

रिहन्द परियोजना का पूरा किया जाना

191. श्री राम जेठमलानी:
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "यू॰के॰ वोल्ट फैस पुट्स रिहन्द-2 इन ज्योपार्डी, शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने रिहन्द परियोजना के दूसर चरण को पूरा करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित की गई आर्थिक सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस आर्थिक सहायता की राशि कितनी है, जिसे प्रदान किया जाना था, और यह सहायता किस रूप में दी जानी थी; और

(घ) सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए अब क्या भावी योजना बना रही है?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय: (क) जी, हां, । (ख) से (घ) यू॰के॰ सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार का निश्चित वित्त-पोषण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जी॰ई॰सी॰ एक्सथॉम (जी॰ई॰सी॰ए॰) का फरवरी, 1991 का प्रस्ताव, प्रतीकात्मक वित्त पोषण प्रस्ताव से सम्बन्धित था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जी॰ई॰सी॰ए॰ की सहायता के लिए ओवरसीज़ एण्ड इकोनामिक कारपोरेशन डेवलपमेंट (ओ॰ई॰सी॰डी॰) की अधिकारिक रूप से प्रायोजित वित्त पोषण प्रस्ताव के अनुदान की राशि कम से कम 35% होगी। 9/10 सितम्बर, 1991 को यू॰के॰ के प्राधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यू॰के॰ पक्ष द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि भारतीय पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वित्त पोषण के किसी वैकल्पिक स्रोत पर भी विचार करे। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य क्षेत्र का स्वरूप जोकि जी॰ई॰सी॰ए॰ समूह के अपने निर्माताओं तक ही सीमित होगा, के लिए संशोधित यू॰के॰ और पेंच पैकेजिज़ की सम्भावित लागत के बारे में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और जी॰ई॰सी॰ए॰ के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिल बनाने की गलत प्रणाली

192. मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री 26 अगस्त, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 31 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं को अभी भी बढ़ाई-चढ़ाई राशि के बिल प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि गलत बिल देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और उपभोक्ताओं को गलत बिलों का भुगतान करने के लिए विवश किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या पहल करने का विचार रखती है?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय: (क)से(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू)/नई दिल्ली नगर पालिका (एन॰डी॰एम॰सी॰) द्वारा जारी किए जाने वाले बिजली बिलों की अत्याधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए मानवीय गलतियों, मीटर रीडिंग लेने अथवा कम्प्यूटर में आंकड़ों के संग्रहण में गलतियों के कारण कुछ मामलों

में बिलों में अधिक राशि निर्दिष्ट किए जाने/गलत बिल तैयार किए जाने संबंधी घटनाएं हो जाती हैं। गलत बिल तैयार करने के लिए उत्तरदायी पाए गए स्टाफ के विरुद्ध उपयुक्त रूप से जांच करने के बाद कार्यवाही की जाती है। उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त होने पर बिलों में विसंगतियों को दूर किए जाने संबंधी कार्यवाही भी की जाती है। डेसू द्वारा समय-समय पर बिल तैयार करने संबंधी पद्धति की पुनरीक्षा भी की जाती है और जनता से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसमें और सुधार किए जाते है।

राष्ट्रीय ऊर्जा लागत और मूल्य निर्धारण आयोग का स्थापित किया जाना

193. **श्री रणजीत सिंह:**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन:

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक राष्ट्रीय ऊर्जा लागत और मूल्य-निर्धारण आयोग की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस आयोग के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय: (क) से (ग) राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय करने तथा युक्तिसंगत टैरिफ नीति का निर्धारण करने एवं प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के लिए उपयुक्त टैरिफ ढांचे हेतु पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों समेत शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

[**The Deputy Chairman** In The Chair]

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): मैडम, एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

उपसभापति: नहीं-नहीं, किसी तरफ ध्यान नहीं दिलाना है।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैडम, हमारी ओर की एक सदस्या का अपहरण हो गया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not now.

श्री शंकर दयाल सिंह: मैडम, चन्द्रिका केनिया का अपहरण हो गया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Till I finish my regular business, I am not permitting. Please sit down.

श्री शंकर दयाल सिंह: हम चाहते हैं कि आप इस पर फैसला दीजिए। ...**(व्यवधान)**... हम यहां बैठे रहे और हमारी एक सदस्या उधर चली जाए ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, let me make an announcement. Please sit down.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform members that the Business Advisory Committee at its meeting held on the 24th February, 1992, allotted time for Govemment legislative and other Business as follows:—

	Business	Time Allotted
1.	Statutory Resolution regarding continuance of President's Rule in the State of Jammu & Kashmir.	One day
2.	Statutory Resolution regarding president's Rule in the State of Manipur	2 hrs & 30 minutes.
3.	Consideration and passing of the Legal Services Authorities (Amendment) Bill. 1991.	Half-an-hour.
4.	Discussion on the Motion of Thanks on the President's Address	Four days i.e. 26th, 27th February, 3rd and 4th March. 1992.
5.	Statutory Resolution seeking disapproval of the Representation of the People (Amendment) Ordinance. 1992 (No. 1 of 1992)	Two hours
6.	Consideration and passing of the Representation of the People (Amendment) Bill, 1992.	(To be discussed together)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts (1990-91) of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOUR CES ----- (SHRI KALP NATH RAI): Madam, 1 lay on the Table— I. A copy each (In English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1956:—

(i) Twenty-second Annual Report and Accounts of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, for the year 1990-91, together with the Auditors' Report on the Accounts and {he Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, (ii) Review by Government on the working of Corporation. II. Statement (in english and